संख्या-28/2020/806/12-5-2020-सा0-01/2019

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊःदिनांकः 29 जून, 2020**

विषयः- गॉव की त्रुटि पूर्ण मैपिंग के कारण पीएम-किसान योजना अन्तर्गत लाभ से वंचित किसानों के प्रकरणों का जनपद स्तर पर निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करने पर पाया गया कि प्रदेश के कई जिलों में योजना के आरम्भ में डाटा फीडिंग के कुछ प्रकरणों में ग्राम, ब्लॉक अथवा तहसीलों की मैपिंग गलत हो गई है जिस कारण एक ही तहसील का कोई ग्राम दूसरे ग्राम में अथवा एक तहसील का कोई ग्राम दूसरे तहसील में प्रदर्शित हो रहा है। इन प्रकरणों में ग्राम के कुछ किसानों का डाटा दूसरे ग्राम या दूसरे तहसील में भी प्रदर्शित हो रहा है।

2- यह भी संज्ञान में आया है कि दूसरे ग्रामों या तहसीलो के राजस्व कर्मियों द्वारा इस प्रकार के डाटा का सत्यापन नहीं किया जा रहा है, जिससे पात्र किसानों को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आवेदकों की पात्रता की पुष्टि नहीं हो पा रही एवं इस प्रकार बड़ी संख्या में लाभार्थी डाटा की मैपिंग लंबित चल रही है। गांवों की गलत मैपिंग के सुधार हेतु जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय भेजकर उन्हे ठीक कराने का प्रयास किया जाए। किन्तु इस कार्य में प्रोटोकाल तय न होने के कारण संशोधन में विलम्ब की सम्भावना है।

3- अतः सम्यक विचारोपरान्त यह निर्देशित किया जाता है कि जनपदों में आपके स्तर से सभी तहसीलों को यह स्पष्ट निर्देश दे दिया जाय कि किसी भी प्रकार की गलत मैपिंग के कारण किसी तहसील के एक गांव का डाटा दूसरे गांव अथवा एक तहसील के किसी गांव के किसानों का डाटा किसी दूसरे तहसील में प्रदर्शित होने वाले प्रकरणों में यथास्थिति दोनों ग्रामों या दोनों तहसीलों के सम्बन्धित राजस्व कर्मी आपसी समन्वय के साथ किसानों का सत्यापन पूर्ण कराएं व पात्रता का परीक्षण कर मैपिंग डाटा का निस्तारण करवाये।

गॉवो की त्रुटिपूर्ण मैपिंग से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये :-

(i) यदि जनपद स्तर पर सम्बन्धित किसान के सही गॉव/मजरे का नाम उपलब्ध है तो किसान को चिन्हित कर सम्बन्धित गॉव के लेखपाल से सत्यापन कराते हुए डाटा लॉक कराया जाय।

(ii) अगर उपरोक्त कार्यवाही न हो सके तो यदि सम्बन्धित किसान का फोन नम्बर उपलब्ध है तो उसके सही गॉव की जानकारी फोन से प्राप्त करते हुये डाटा का सत्यापन तदानुसार सही गॉव के लेखपाल से कराते हुए डाटा लॉक किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(iii) यदि यह भी सम्भव न हो तो यदि किसान को भुगतान हो चुका है तो सम्बन्धित बैंक (जहां किसान का खाता हो) से किसान का पता प्राप्त करते हुए अपेक्षित सत्यापन कार्य पूर्ण कराया जाय।

कृपया उपर्युक्तानसार कार्यवाही हेतु राजस्व कार्मिकों को निर्देशित करने का कष्ट करे, ताकि त्रुटिपूर्ण गॉव की मैंपिग से प्रभावित पात्र किसानो को पीएम-किसान योजना का लाभ शीघ्र प्राप्त हो सके और मैपिंग प्रकरण का समयबद्ध निस्तारण हो।

भवदीय
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0।

2. कृषि निदेशक, उ0प्र0।

आज्ञा से
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।